कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया।

असगर आलम खाँ,बि०शि०से०
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं स०शि०अ०
Asghar Alam Khan, B.E.S
District Programme Officer, (EE & SSA)

शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना, गया
शिक्षा भवन, गया– 823001
EDUCATION DEPARTMENT
BIHAR EDUCATION PROJECT, GAYA
Shiksha Bhawan, Gaya- 823001

प्रस्वीकृति कोड संख्या (23614892021911110339) दिनांक 21-05-2022 से 21-05-2025

पत्रांक / RTE / 1706 दिनांक 12/06/22

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
GYAN BHARTI GLOBAL SCHOOL
ORE, CHAKAND, PS-BELAGANJ, DIST- GAYA, BIHARA

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education-RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय GYAN BHARTI GLOBAL SCHOOL, ORE, CHAKAND, PS-BELAGANJ, DIST- GAYA, BIHARA, ORE, 804403 को कक्षा 1 – 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष (21.05.2022 से 21.05.2025) की अवधि के लिए दिनांक 21.05.2022 को जिला निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सर्शत औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन की अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नही प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चों को उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नही किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों का इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएगें:–
   (I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाएगा समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान का अनुपालन और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   (II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा।
   (III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   (IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   (V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांक / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
   (VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
   (VII) शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा–24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
   (VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नही होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है–